

fogakoykdu

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, सामान्य एवं सामाजिक (गैर—सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण) क्षेत्र, मध्य प्रदेश सरकार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में, चयनित कार्यक्रमों और विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि के वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा से संबंधित दस निष्पादन लेखापरीक्षा/वृहत कंडिकाएं तथा 17 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है।

1. fu"i knu ys[kki j h{kk

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती है कि क्या शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं/विभागों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और उनका प्रायोजित लाभ दिया गया है।

1-1 e/; klg Hkkstu ; kstu dk fØ; klo; u

प्राथमिक शिक्षा में पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्यान्ह भोजन योजना का प्रारंभ अगस्त 1995 में नामांकन, निरंतरता, उपस्थिति में वृद्धि तथा विद्यार्थियों के पोषण स्तर में प्रभावित करने के साथ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। 2010–15 के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- नमूना जांच किये गये दस जिलों में से सात जिलों में राशि ₹ 7.68 करोड़ के व्यपवर्तन के प्रकरण पाये गये। मध्यान्ह भोजन योजना निधि का उपयोग दूध प्रदाय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी आदि प्रयोजनों के लिए किया गया। उपरोक्त व्यपवर्तित राशि में दिनांक 31 मार्च 2015 तक राशि ₹ 4.55 करोड़ मध्यान्ह भोजन योजना मद में समायोजित नहीं की जा सकी।

%dfMdk 2-1-8-2½

- राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित वर्गों के गरीब बच्चों की पहचान किये जाने हेतु न तो कोई मापदण्ड बनाए गए और न ही उनकी पहचान हेतु सर्वे किया गया।

%dfMdk 2-1-9-1½

- मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत शामिल विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2010–11 में 111.19 लाख बच्चों से वर्ष 2014–15 में 92.51 लाख बच्चों की लगातार गिरावट दर्ज की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति भी वर्ष 2010–11 में 80.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.67 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, माध्यमिक कक्षाओं में भी विद्यार्थियों की औसत दैनिक उपस्थिति वर्ष 2010–11 में 79.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 75.02 प्रतिशत रह गई।

%dfMdk 2-1-9-2 , 012-1-9-3½

- मध्यान्ह भोजन का वितरण बाधित हुआ। समीक्षा अवधि के पांच वर्षों के दौरान मध्यान्ह भोजन 7,759 शैक्षणिक दिवसों में 1,024 दिन से लेकर 1,767 दिनों तक वितरित नहीं किया गया।

%dfMdk 2-1-9-8½

- नमूना जांच किये गये 300 विद्यालयों में से 187 विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया तथा 192 विद्यालयों में माइकोन्यूट्रीयेन्ट्स का वितरण नहीं किया गया।

(dMdk 2-1-9-9)

- नमूना जांच किये गये विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के वितरण किये जाने में सुरक्षा तथा स्वच्छता मानकों के पालन में कमियां थीं। लेखापरीक्षा में जांच किये गये विद्यालयों में अधोसंरचना सुविधायें जैसे रसोई घर, पर्याप्त बर्तनों आदि की कमी थी।

(dMdk 2-1-9-10)

- योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठकें नहीं हुईं।

(dMdk 2-1-10-2)

1.2 , p-vkblooh-@, Mf i frjkll dk; De dk fØ; kUo; u

ह्यूमन इम्यूनो-डेफिसिएंसी वायरस (एच.आई.वी.) तथा एक्वायर्ड इम्यूनो-डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के प्रतिरोध हेतु भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के पहले चरण का शुभारंभ 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का गठन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया गया था। नाको द्वारा बाद के चरणों में वर्ष 1999–2006 के दौरान एन.ए.सी.पी.–द्वितीय तथा वर्ष 2007–12 के दौरान एन.ए.सी.पी.–तृतीय का क्रियान्वयन किया गया। वर्तमान चरण एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ को वर्ष 2012–2017 के दौरान लागू किया जाना है। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति (म.प्र.रा.ए.नि.स.) को वर्ष 1998 में पंजीकृत किया गया था। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में राज्य में एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध ₹ 141.78 करोड़ के विरुद्ध ₹ 128.10 करोड़ व्यय किया गया। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों में से 30 से 63 प्रतिशत तक का उपयोग म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा नहीं किया गया था।

(dMdk 2-2-5 rFkk 2-2-6)

- एन.ए.सी.पी.–चतुर्थ चरण का मुख्य उद्देश्य नए एच.आई.वी. संक्रमण को 50 प्रतिशत (एन.ए.सी.पी.–तृतीय के अंतर्गत आधारभूत वर्ष 2007) तक कम करना था। तथापि हमने पाया कि नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरणों में वृद्धि हुई। वर्ष 2011–12 की अवधि में नए एच.आई.वी. संक्रमण के प्रकरण 4,972 थे, वहीं वर्ष 2014–15 में 5,348 नए प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे।

(dMdk 2-2-7)

- राज्य में 17 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केंद्र तथा 37 लिंक ए.आर.टी. केंद्र थे। राज्य में कुल 38,268 प्रतिवेदित वयस्क एच.आई.वी. मरीजों में से ए.आर.टी. पर 30,484 मरीज ही पंजीकृत हुए थे। इसके विरुद्ध 20,668 मरीजों की ए.आर.टी. शुरु की गई थी उनमें से 13,213 मरीज ही सतत रूप से उपचार जारी रखे थे।

(dMdk 2-2-7)

- मानचित्रण आंकड़े 2008 के अनुसार राज्य में 48,785 उच्च जोखिम तथा 1,25,834 प्रवासी आबादी निवासरत थी। वर्ष 2010–15 के दौरान उच्च जोखिम समूह (एच.आर.जी.) के लिए 204 लक्ष्यगत हस्तक्षेप (टी.आई.) परियोजना तथा सेतु आबादी के लिए 32 टी.आई. परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थी। जिसमें से 79 टी.आई. परियोजनाएं असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण म.प्र.रा.ए.नि.स. द्वारा बंद कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान टी.आई. परियोजनाओं के माध्यम से एच.आर.जी. तथा सेतु आबादी के कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।

(d) Mdk 2-2-8)

- यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) तथा प्रजनन पथ संक्रमण (आर.टी.आई.) एच.आई.वी. संक्रमण को प्राप्त करने तथा संचरण करने की संभावना को कई गुण बढ़ाते हैं। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान एस.टी.आई./आर.टी.आई. लक्षण के व्यक्तियों को कवर करने के लक्ष्य 10.74 लाख के विरुद्ध 9.90 लाख की उपलब्धि थी। 12 चयनित जिले के एस.टी.आई. क्लीनिकों में औषधियों, मानव संसाधन तथा भौतिक अधोसंरचना की कमी पाई गई थी।

(d) Mdk 2-2-10)

- रक्त सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह रक्त संग्रहण इकाई (बी.एस.यू.) की स्थापना पर निर्भर है तथा इसलिए एन.ए.सी.पी.–तृतीय में सभी सामुदायिक स्वारस्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) पर बी.एस.यू. की स्थापना करना प्रस्तावित था। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिलों के 75 में से 62 सी.एच.सी. में बी.एस.यू. स्थापित नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन जिलों के 13 रक्त बैंक बिना वैध नवीनीकरण लाईसेंस के संचालित थे।

(d) Mdk 2-2-11)

- वर्ष 2010–15 के दौरान एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्रों (आई.सी.टी.सी.) पर संवेदनशील जनसंख्या तथा गर्भवती महिलाओं के परामर्श/एच.आई.वी. परीक्षण के निर्धारित लक्ष्य 39.30 लाख के विरुद्ध 36.71 लाख की उपलब्धि प्राप्त की गई। हमने पाया कि 12 नमूना परीक्षित जिले के आई.सी.टी.सी. में परीक्षण किट, भौतिक अधोसंरचना तथा मानव संसाधन की कमी थी।

(d) Mdk 2-2-13)

- माता–पिता से बच्चों में संचरण को रोकने (पी.पी.टी.सी.टी.) के कार्यक्रम के अंतर्गत माता से बच्चों में संचरण को समाप्त करने के लिए सभी अनुमानित एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को कवर करना था। हमने पाया कि वर्ष 2010–15 के दौरान एच.आई.वी. पॉजिटिव माताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई थी। आगे पॉजिटिव माताओं से जन्मे बच्चों का एच.आई.वी. परीक्षण निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(d) Mdk 2-2-14)

- राज्य में एन.ए.सी.पी.–तृतीय (2007–12) में कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर कुल ₹ 8.53 करोड़ व्यय किया गया था। हालांकि राज्य के द्वारा कार्यक्रम के मध्यावधि एवं समाप्ति पर मूल्यांकन नहीं कराया गया था। म.प्र.रा.ए.नि.स. के पास नाको द्वारा एन.ए.सी.पी.–तृतीय के मध्यावधि/अंतिमावधि मूल्यांकन कराए जाने की जानकारी नहीं थी।

(d) Mdk 2-2-18)

1.3 futh fo' ofo | ky; k̄ dh LFkki uk ds fy, <kjpk

मध्यप्रदेश राज्य विधानमण्डल द्वारा मध्य प्रदेश में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए विनियमित ढाँचा प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 बनाया गया (मई 2007)। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (म.प्र.नि.वि.वि.आ.) भोपाल की स्थापना की गई (अक्टूबर 2009)। म.प्र.नि.वि.वि.आ. में एक सभापति तथा दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और यह कुलाध्यक्ष (राज्यपाल) के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। म.प्र.नि.वि.वि.आ. निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु, प्रायोजी निकाय के प्रस्ताव तथा परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदाई है। राज्य सरकार म.प्र.नि.वि.वि.आ. द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन से, यदि संतुष्ट होती है, तो निजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के ढाँचे की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न लिखित प्रकट हुआ कि :

- छह प्रायोजी निकायों के पास, अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक उपयोग हेतु आवश्यक 20 हैक्टेयर भूमि नहीं थी। इसके बावजूद, म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन में इन छह विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुशंसा की। विभाग ने भी प्रायोजी निकायों द्वारा इन कमियों को दूर किए जाना सुनिश्चित किए बिना, उनकी स्थापना की।

%dfMdk 2-3-7-3%

- अधिनियम के अनुसार, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के प्रकाशित होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का प्रारंभ नहीं हो सकेगा। तथापि, सात निजी विश्वविद्यालयों ने प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश के अनुमोदन के पहले ही स्वयं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे।

%dfMdk 2-3-7-5%

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने अपने कार्यों के निष्पादन हेतु कोई भी विनियम नहीं बनाए थे। यह निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के अनुवीक्षण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका था। प्रायोजी निकायों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तुत विभिन्न परिवर्चनों का अनुवर्ती अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

%dfMdk 2-3-8-1%

- यू.जी.सी. द्वारा अपने निरीक्षण में बताई गई विभिन्न कमियों के संदर्भ में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में म.प्र.नि.वि.वि.आ. के निरीक्षण के लिए अनुवीक्षण तंत्र का अभाव था।

%dfMdk 2-3-8-2%

- म.प्र.नि.वि.वि.आ. ने सूचित किया कि वह मानव शक्ति की कमी के कारण निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न अनुवीक्षण गतिविधियों को निष्पादित नहीं कर सका।

%dfMdk 2-3-9-3%

1.4 | kekftd | j{kk i \$ku ; kstukvks dk fØ; klo; u

समाज के कमजोर वर्ग विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के रूप में 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (रा.सा.स.का.) अगस्त 1995 में प्रारम्भ किया। यह भारत सरकार के महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ.गा.रा.वृ.पै.यो.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इ.गा.रा.वि.पै.यो.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (इ.गा.रा.नि.पै.यो.) एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (रा.प.स.यो.) शामिल हैं।

राज्य सरकार ने भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन, 18 वर्ष से अधिक तथा 39 वर्ष के बीच के बी.पी.एल. विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक तथा 59 वर्ष के बीच की बी.पी.एल. परित्यक्त महिलाएं एवं 6 से 18 वर्ष के स्कूल जाने वाले बी.पी.एल. बच्चे जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (स.सा.सु.पै.यो.) का क्रियान्वयन किया है।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के लिए 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- रा.सा.स.का. के दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता के बराबर कम–से–कम अतिरिक्त राशि राज्यों से दिये जाने हेतु दृढ़ता से आग्रह किया गया था जिससे कि हितग्राहियों को उचित स्तर की सहायता राशि प्राप्त हो सके। तथापि राज्य सरकार ने इ.गा.रा.वि.पै.यो., इ.गा.रा.नि.पै.यो. एवं रा.प.स.यो. अंतर्गत कोई योगदान नहीं किया। राज्य सरकार इ.गा.रा.वृ.पै.यो. के अन्तर्गत 65–79 आयु वर्ग में केन्द्रीय सहायता ₹ 200 के साथ ₹ 75 अतिरिक्त पेंशन के रूप में प्रदान कर रही थी।।।

%dfMdk 2-4-7-2%

- विभिन्न पेंशन योजनाओं की अव्ययित राशि ₹ 30.24 करोड़ जिला/जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर बैंक खातों में पड़ी थी।

%dfMdk 2-4-7-3%

- रा.सा.स.का. की दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन विशेष सत्यापन दल द्वारा नहीं किया गया था। ₹ 1.49 लाख हितग्राहियों को ₹ 7.74 करोड़ पेंशन राशि का भुगतान नियत तिथि से एक से 16 माह विलम्ब से किया गया। आगे, जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पेंशन पोर्टल पर गलत बैंक विवरण अपलोड किये जाने के कारण पेंशन की राशि ₹ 1.32 करोड़ पेंशनर्स के खातों में जमा नहीं हुई थी।

%dfMdk 2-4-7-6] 2-4-7-7 , o] 2-4-7-8%

bfnjk xka/kh jk"Vh; o) koLFkk i \$ku ; kstu klo-xk-jk-o-i g; ks%

- समग्र पेंशन पोर्टल से डाउनलोड किए गए (18 मार्च 2015) प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में 16.16 लाख व्यक्ति जो इ.गा.रा.वृ.पै.यो. हेतु पात्र थे लेकिन वे योजना के लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना था। विभाग ने बताया कि इन व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन एवं उनके दस्तावेजों की जांच पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

%dfMdk 2-4-9-2%

bfnjk xkakh jk"Vh; fo/kok iku ; kstuk ½b-xk-jk-fo-i 8; ks½

- इ.गा.रा.वि.पै.यो के अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम, सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गए थे।

%dfMdk 2-4-11-1½

- बढ़ी हुई दर से पेंशन भुगतान के लिए भारत सरकार के परिपत्र के विलम्ब से कियान्वयन के कारण, अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के स्थान पर पुरानी दर ₹ 200 प्रति माह से पेंशन का भुगतान किया गया।

%dfMdk 2-4-11-4½

bfnjk xkakh jk"Vh; fu% kDr iku ; kstuk ½ b-xk-jk-fu-i 8; ks½

- अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई पेंशन दर ₹ 300 प्रतिमाह के विरुद्ध पुरानी दर ₹ 200 प्रति माह से पेंशन का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप इ.गा.रा.नि.पै.यो के अन्तर्गत 2.02 लाख हितग्राहियों को कम भुगतान किया गया।

(dfMdk 2-4-13-3½

jk"Vh; i f j okj l gk; rk ; kstuk ½ jk-i-l -; ks½

- जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक बढ़ी हुई सहायता दर ₹ 20,000 के विरुद्ध एकमुश्त सहायता पुरानी दर ₹ 10,000 का भुगतान किया गया जिसके कारण रा.प.स.यो. के अन्तर्गत 9,104 हितग्राहियों को राशि ₹ 910.40 लाख का कम भुगतान किया गया।

(dfMdk 2-4-15-2½

- योजनाओं के अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य/जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था।

%dfMdk 2-4-16-1 rFkk 2-4-16-2½

- 2010–15 की अवधि में रा.सा.स.का. की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

(dfMdk 2-4-16-3½

I exz Lkeftd l j {kk iku ; kstuk ½ -l k-l q 8; ks½

- स.सा.सु.पै.यो. अन्तर्गत दस्तावेजों जैसे भूमिहीन तथा निराश्रित होने का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल.सूची में नाम तथा सत्यापन प्रतिवेदन की पर्याप्त जांच किए बिना हितग्राहियों को पेंशन प्रकरण स्वीकृत किए गये थे। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं थी। चयनित जिलों में 2010–15 के दौरान न तो निरीक्षण हेतु रोस्टर बनाए गए थे न ही निरीक्षण किए गए।

%dfMdk 2-4-18-1 rFkk 2-4-19-1½

1.5 fo' ofo | ky; k a e a forrh; i cku rFkk futh egkfo | ky; k d h | Ec) rk

विश्वविद्यालय विभिन्न संकायों के द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इत्यादि की शिक्षा प्रदाय करते हैं। विश्वविद्यालय के स्रोतों में मध्य प्रदेश शासन से संधारण अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जीओआई की अन्य निधियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से अनुदान तथा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि से प्राप्त प्राप्तियों एवं भूमि तथा भवन के किराया को सम्मिलित है।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन तथा निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर 2010–11 से 2014–15 की अवधि को शामिल करते हुए सात विश्वविद्यालयों में से चार (जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर) की निष्पादन लेखा परीक्षा ने निम्नलिखित उदघास्ति किया:

- विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन की कमी थी। विश्वविद्यालय ने वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखों की तैयारी के लिए कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की थी। वार्षिक लेखों के संधारण हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं था। बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय एवं व्यय के मध्य अत्यधिक अंतर था।

(dMdk 2-5-6-1] 2-5-7-1] 2-5-8-1 rFkk 2-5-9-1)

- राशि ₹ 13.80 करोड़ के अग्रिम लंबी अवधि से असमायोजित होने से लंबित पड़े थे। लंबित अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

(dMdk 2-5-6-2 ॥ ॥ 2-5-7-2 ॥ ॥ 2-5-8-2 ॥ ॥ rFkk 2-5-9-2 ॥ ॥)

- विश्वविद्यालय यूजीसी तथा अन्य संगठनों से प्राप्त ₹ 18.06 करोड़ के अनुदान का उपयोग नहीं कर सके। निधियों का उपयोग न किए जाने से, विश्वविद्यालयों को अनुगमी अनुदान जारी नहीं किए गए थे।

(dMdk 2-5-6-2 ॥ ॥ 2-5-7-2 ॥ ॥ 2-5-8-2 ॥ ॥ rFkk 2-5-9-2 ॥ ॥)

- निजी महाविद्यालयों को अधोसंरचना में कमियों का निवारण सुनिश्चित किए बिना सर्वानुभव सम्बद्धता बार बार दी गई। शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के विरुद्ध राशि ₹ 8.94 करोड़ का सम्बद्धता शुल्क लंबित था।

(dMdk 2-5-6-5 ॥ ॥ 2-5-6-5 ॥ ॥ 2-5-7-5 ॥ ॥ 2-5-7-5 ॥ ॥ 2-5-8-5 ॥ ॥
2-5-8-5 ॥ ॥ rFkk 2-5-9-5)

**1.6 vud fpr tkfr ,oa vud fpr tutkfr ds fo | kffk;k g;q
i kLV e;Vd Nk=oFr dk i c;ku**

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्ग के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय करने के मुख्य उद्देश्य से अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पो.मै.छा.यो.) लागू की गई। भारत सरकार की इस योजना का लाभ सभी अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सभी मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को प्रदाय करना है जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार द्वारा पो.मै.छा.यो. को उन विद्यार्थियों जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक न हो, विस्तृत किया गया है। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रबंधन पर समीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया गया था व अतिरिक्त वचनबद्ध देयता राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

योजना अंतर्गत अ.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 1,129.33 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 1,035.46 करोड़ व्यय किए। पो. मै. छा. यो. के अंतर्गत राज्य सरकार ने अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ₹ 571.92 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 550.97 करोड़ व्यय किये।

(dMdk 2-6-6)

- आवंटित निधियों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही जिलों को निधियां जारी की गई थी। मार्च 2015 के अंत में नमूना जांच किए 15 जिलों के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण के बैंक खातों में ₹ 71.53 करोड़ अव्ययित शेष थे, जो कि शासन को वापिस नहीं किए गए थे।

(dMdk 2-6-6-1 rFkk 2-6-6-2)

- 5,441 संदिग्ध प्रकरणों में, एक विद्यार्थी को एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से अधिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उक्त स्वीकृतियों के वास्तविक भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका था। तथापि जिला कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा 1,106 प्रकरणों में राशि ₹ 3.81 करोड़ के भुगतान की पुष्टि की गई।

(dMdk 2-6-7-3)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, 1.13 लाख अ.जा. विद्यार्थियों एवं 0.26 लाख अ.ज.जा. विद्यार्थियों को राशि ₹ 194.29 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान एक से तीन वर्ष तक विलम्ब से किया गया।

(dMdk 2-6-7-4)

1-7 jkt; eš ykṣd | ḫk dk vf/kdkj dkwu dk fØ; klo; u

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान—मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया। अधिनियम सितम्बर 2010 से प्रभावशील था। अधिनियम में सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा, सेवाएं प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी (डीओ), अपील सुनवाई हेतु अपील अधिकारी/अपील प्राधिकारी (एओ) अधिसूचित करना एवं बिना पर्याप्त कारण से सेवा प्रदान करने पर विलंब या सेवा नामंजूर करने पर शास्ति निर्धारण करने के प्रावधान शामिल हैं।

लोक सेवाओं में सुधार और नवाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा प्रबन्धन विभाग स्थापित किया गया था जिसके प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन हैं। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन के लिए राज्य लोक सेवा अभिकरण (सैप्स) का भी एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठन किया गया (मई 2013) जिसके प्रमुख कार्यपालन संचालक हैं। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, ब्लॉक स्तर तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सितम्बर 2012 से लोक सेवा केन्द्रों (एल.एस.के.) की स्थापना की गई। सितम्बर 2010 से मार्च 2015 के मध्य आठ चरणों में अधिनियम के अन्तर्गत 22 विभागों की 124 सेवाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किया गया। अवधि 2012–13 से 2014–15 में लोक सेवा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर एक विषयगत लेखापरीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकाश में आए:

- अवधि 2012–13 से 2014–15 के दौरान 181.41 लाख ऑनलाइन आवेदन निश्चित समय सीमा के भीतर निराकृत किए गए जो ऑनलाइन प्राप्त कुल 241.40 लाख आवेदनों का 75 प्रतिशत था।

1/dfMdk 2-7-7-1½

- लोक सेवा केन्द्रो द्वारा ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 22 विभागों की 124 अधिसूचित सेवाओं में से 16 विभागों की 68 अधिसूचित सेवाओं को ही संसाधित किया जा रहा था। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा शेष सेवाओं को ऑनलाइन प्रणाली में नहीं लाया सका था एवं पदाभिहित अधिकारियों द्वारा सीधे ऑफलाइन प्रदाय की जा रही थीं।

1/dfMdk 2-7-7-2½

- अधिसूचित सेवाओं की जानकारी, निराकरण की समय सीमा, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं पदाभिहित अधिकारियों तथा अपील अधिकारियों के नाम, पदाभिहित अधिकारियों/अपील अधिकारियों के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था। तथापि, 82 पदाभिहित अधिकारियों में से 38 एवं 40 अपील अधिकारियों में से 18 के कार्यालयों में आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करते हुए नोटिस बोर्ड नहीं लगाए गए थे, परिणामस्वरूप नागरिकों के लिए सुसंगत जानकारी के प्रसार में कमी को दर्शाता है।

1/dfMdk 2-7-8-3½

- विभागों के जिला प्रमुखों द्वारा न तो निरीक्षण कार्यक्रम तैयार किया और न ही पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया।

1/dfMdk 2-7-10-1½

1.8 e/; i nsk es fo'ksk : i l s detkj tutkrh; l engka ds fodkl ds fy; s dk; ldeka dk fdz klo; u

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.व्ही.टी.जी.), जिनमें साक्षरता का स्तर कम है, घट रहे हैं या उनकी जनसंख्या स्थिर है, कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना (टी.एस.पी.) के लिए राज्य को निधियां उपलब्ध कराई जा रही थीं। भारत सरकार द्वारा पी.व्ही.टी.जी. के विकास के लिये संरक्षण—सह—विकास (सी.सी.डी.) योजना प्रारंभ की गई (अप्रैल 2008)। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अपने राज्य में प्रत्येक पी.व्ही.टी.जी. के लिये दीर्घकालिक सी.सी.डी. योजना तैयार करनी थी।

मध्यप्रदेश में तीन बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों की पहचान की गई थी जो 15 जिलों में निवास करती हैं और जिन्हें पी.व्ही.टी.जी. के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ष 2004–05 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार चिह्नांकित क्षेत्रों में पी.व्ही.टी.जी. की जनसंख्या 4.87 लाख थी। राज्य सरकार ने 15 जिलों के लिये 11 पी.टी.जी. विकास अभिकरणों की स्थापना पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु की थी। 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए मध्यप्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. के विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- चिह्नांकित क्षेत्रों के बाहर निवासरत 4.49 लाख पी.व्ही.टी.जी. जनसंख्या को सी.सी.डी. योजना (2012–17) में शामिल नहीं किया गया था।

1/dfMdk 2-8-6-1½

- वर्ष 2004–05 में किए गए बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर सी.सी.डी. योजना (2012–17) तैयार की गई थी। इस प्रकार, सी.सी.डी. योजना 2012–17 तैयार करने से पूर्व पी.व्ही.टी.जी. की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं का पुनः आकलन नहीं किया गया था।

\df{Mdk}{2-8-6-2}

- 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने पी.व्ही.टी.जी. के विकास हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ₹ 246.96 करोड़ व्यय किए। सी.सी.डी. योजना और एस.सी.ए. की महत्वपूर्ण राशि ₹ 88.81 करोड़ छह पी.टी.जी. विकास अभियानों के बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी थी।

\df{Mdk}{2-8-8-1}

- सी.सी.डी. योजना के तहत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 28 प्रतिशत की कमी थी। एस.सी.ए. योजना अंतर्गत 2010–15 के दौरान भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में 20 प्रतिशत की कमी थी।

\df{Mdk}{2-8-8-1}

- गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जारी ₹ 11.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.54 करोड़ (14 प्रतिशत) उपयोग किए गए। आगे, राज्य में 2011–15 की अवधि के दौरान लक्षित 1,517 चिकित्सा जांच शिविरों में से 788 चिकित्सा जांच शिविर पी.व्ही.टी.जी. के लिए आयोजित किए गए थे।

\df{Mdk}{2-8-10} \rf{Fkk}{2-8-10-1}

1-9 e;/ i n's k d h t y k e s t y i c k u i z k y h r F k k e y k d k r i c k u i z k y h d h | p u k i k s l k f x d h f u " i k n u y s k k i j h { k k }

जेल प्रबंधन प्रणाली (पी.एम.एस) और मुलाकात प्रबंधन प्रणाली (व्ही.एम.एस) बंदियों और मुलाकातियों के समाधान के प्रबंधन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क आधारित प्रणाली है। पी.एम.एस और व्ही.एम.एस सॉफ्टवेयर विडोज 2007 आपरेटिंग प्रणाली में फ्रंटएंड के रूप में एएसपी नेट और बैकएंड के रूप में एसक्यूएल सर्वर 2008 के साथ एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था। पी.एम.एस एवं व्ही.एम.एस परियोजना का उद्देश्य डाटा का प्राथमिक स्रोत जेल की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और बंदियों और मुलाकातियों की जानकारी का प्रबंधन एवं रिकॉर्ड करना था। पी.एम.एस और व्ही.एम.एस की सूचना प्रौद्योगिकी निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न परिलक्षित हुआ:

- प्रणाली विकसित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता का अध्ययन एवं समानांतर जाँच भी नहीं की गई थी जिसके कारण सॉफ्टवेयर में आंतरिक सामन्जस्य एवं विश्वसनीयता की कमी आई।

\df{Mdk}{2-9-8-1} \rf{Fkk}{2-9-8-2}

- हार्डवेयर की लोकेशन प्लान के अनुसार स्थापना न किए जाने एवं अपूर्ण डाटा प्रविष्टि के कारण पी.एम.एस और व्ही.एम.एस के शुरू करने का उद्देश्य, बंदियों और मुलाकातियों का केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करना प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर की कम आपूर्ति के कारण हार्डवेयर निष्क्रिय रहे और परियोजना अपनी निर्धारित तिथि मार्च 2010 से 32 माह विलंब से पूर्ण हुई।

\df{Mdk}{2-9-9}

- पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. सॉफ्टवेयर डिजाइन में कमियाँ थीं परिणाम स्वरूप अपूर्ण डाटा प्रविष्टि हुई थी। हमने देखा कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में 2.47 लाख बंदियों की आमद हुई थी जिसके विरुद्ध 1.12 लाख बंदियों की प्रविष्टि डाटाबेस में की गई थी। मुलाकातियों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। बंदियों के आमद की दोहरी प्रविष्टि रोकने में सिस्टम विफल रहा।

1dfMdk 2-9-10-1 rFkk 2-9-11-5½

- विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा तंत्र, भौतिक नियंत्रण एवं पासवर्ड नीति अपर्याप्त थी। डाटा प्रविष्टि बंदियों एवं जेल प्रहरियों द्वारा की गई थी।

1dfMdk 2-9-11-1 rFkk 2-9-11-2½

1.10 “e/; i ns'k fo/kku | Hkk fuoklpu {ks= fodkl ; kstuk' ij fu"iknu | eh{k[k dhl vuoprhl yskki jh{k[k

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस.) मध्यप्रदेश के सभी 231 विधान सभा क्षेत्रों में जुलाई 1994 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि विधायकों (एम.एल.ए.) की अनुशंसाओं पर पूँजीगत प्रकृति के विकास कार्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकता के आधार पर किए जाएं। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.1 में 2005–10 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी।

वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमांक 1.1 में स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पता चला कि:

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि स्वीकृत किए गए कार्यों में से जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता का आकलन किए जाने हेतु आवधिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए ताकि विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन करने में सुविधा हो सके।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि चयनित आठ में से सात जिलों में जन सामान्य के हितलाभ एवं वास्तविक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एम.पी.ए.सी.ए.डी.एस. के अन्तर्गत कार्यों का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

1dfMdk 2-10-6½

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमने अनुशंसा की थी कि परिसंपत्तियों की पंजियां संधारित की जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जा सके। निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव एवं उपयोग करने वाले विभागों को परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सात जिला योजना अधिकारी जो 2005–10 के दौरान परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं कर रहे थे उनके द्वारा अभी भी परिसंपत्तियों की पंजी संधारित नहीं की जा रहीं थीं। इसके अतिरिक्त, रत्नालम को छोड़कर किसी भी चयनित जिला योजना अधिकारी के पास परिसंपत्तियों की हस्तान्तरण पंजी उपलब्ध नहीं थी।

1dfMdk 2-10-7½

हमने अनुशंसा की थी कि कार्यों के निष्पादन और पूर्ण होने में विलम्ब होने के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई किए जाने हेतु ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण किए जाने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने कार्यों के निष्पादन एवं पूर्ण होने में विलम्ब के विरुद्ध समय सीमा में कार्रवाई हेतु कार्य के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुवीक्षण हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रमुख सचिव ने बताया कि इस हेतु संचालनालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे।

(dfMdk 2-10-8)

2. *y_unus_k d_h y_s[kki j h{kk*

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय कमियाँ प्रतिवेदित की हैं जो सरकारी विभागों/संगठनों की कार्यसाधक कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें सामान्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता

2.1 *fu; ekg vkn'skk i fdz kvk_bR; kfn dk vuqkyu u fd; k tkuk*

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। इस प्रतिवेदन में नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने के उदाहरण सम्मिलित हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वांछित जांचें न किये जाने के कारण राशि ₹ 8.27 लाख के वेतन एवं भत्तों का संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण और संवितरण हुआ।

(dfMdk 3.1.1)

- भुगतान हेतु प्रस्तुत बीजकों में हजार के अंकों में फेरबदल कर कपटपूर्ण ढंग से कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी), जिला शिक्षा केन्द्र, इन्दौर में ₹ 0.24 लाख का संदिग्ध गबन देखा गया।

(dfMdk 3.1.2)

- उच्च दरों पर औषधियों की खरीदी करने के कारण प्रदायकर्ताओं को राशि ₹ 1.20 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(dfMdk 3.1.3)

- रिस्क एवं कॉस्ट के आधार पर औषधियों के स्थानीय क्रय करने में हुए अधिक व्यय राशि ₹ 74.90 लाख की वसूली नामिकागत प्रदायकर्ताओं से नहीं की गई थी।

(dfMdk 3.1.4)

- प्रसूति अवकाश सहायता योजना के अंतर्गत अपात्र महिलाओं को राशि ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित भुगतान किया गया।

(dfMdk 3.1.5)

- पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने से शासन ₹ 52.13 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

(dMdk 3.1.6)

- जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, उज्जैन, बुरहानपुर, इन्दौर और झाबुआ द्वारा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर ₹ 87.92 लाख का प्रेषण नहीं किया गया।

(dMdk 3.1.7)

- उच्चतर दर पर ₹ 1.68 करोड़ की सीमेंट का अनियमित क्रय और ₹ 52.29 लाख का परिहार्य अधिक व्यय।

(dMdk 3.1.8)

- एक कार्य के लिए प्राप्त अंशदान की राशि का उपयोग दूसरे कार्य के लिए कर, जमा कार्यों पर ₹ 8.22 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

(dMdk 3.1.9)

- शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹ 108.48 लाख का अधिक व्यय हैंडपम्पों के रखरखाव पर किया गया था।

(dMdk 3.1.10)

- ₹ 2.15 करोड़ का अनियमित क्रय, परिणामस्वरूप उच्चतर दर पर क्रय के कारण वायरलेस सेट एवं सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति पर ₹ 64.98 लाख का अधिक व्यय।

(dMdk 3.1.11)

- पूर्व संशोधित दरों पर प्रशमन शुल्क की वसूली के परिणामस्वरूप राशि ₹ 65.99 लाख के प्रशमन शुल्क की कम वसूली।

(dMdk 3.1.12)

- सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ भोजन प्रदाय करने हेतु संलग्न स्व-सहायता समूहों से खाद्यान्न के मूल्य की कम वसूली राशि ₹ 4.82 करोड़।

(dMdk 3.1.13)

2.2 VI ko/kkuh@i/ / fud fu; #.k e@foQyrk

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्ण्यात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

- शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्वालियर में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के गैर संचालन के कारण ₹ 82.72 लाख का निष्फल व्यय।

(dMdk 3.2.1)

- ₹ 1.28 करोड़ की लागत से निर्मित कन्या महाविद्यालय भवन के उपयोग न होने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय।

(*dfMdk 3.2.2*)

- नियंत्रण प्रणाली की विफलता के कारण आदिवासी छात्रों के लिये आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण में लागत वृद्धि ₹ 95.68 लाख, जिससे भवन पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब भी हुआ।

(*dfMdk 3.2.3*)

- प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र के अंसचालित रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय ₹ 1.85 करोड़।

(*dfMdk 3.2.4*)